कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जौनपुर
सार्वजनिक नीलामी सूचना।

माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदन दिनांकित 04.04.2015 के अनुपालन में एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु जनपद न्यायालय स्थित पान शाप नं0–5, वाहन स्टैण्ड, डी0एम0 आवास गेट एवं वाहन स्टैण्ड न्याय भवन की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 04.08.2015 को 2–00 बजे अपराह्न में परिसर स्थित सभागार में की जायेगी।

नीलामी योग्य दुकानों/ वाहन स्टैण्डों आदि का विवरण एवं उनके लिए न्यूनतम बोली की धनराशि तथा धरोहर की राशि निम्नवत् की गयी हैं:

कम सं0	दुकान/ ठेका का विवरण	न्यूनतम बोली की राशि	निर्धारित धरोहर राशि
1	पान शाप नं0–5		
2	वाहन स्टैण्ड डी0एम0आवास गेट		
3	वाहन स्टैण्ड न्याय भवन		

उक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों/ ठेकेदारों को निम्नलिखित शर्तो का पालन करना होगा:

1. बोलीदाता/ प्रतिभागी के विरूद्ध विगत किसी वर्ष के सम्बन्ध में कोई धनराशि अवशेष नहीं होनी चाहिए।

2. बोलीदाता/ प्रतिभागी को दिनांक 31.07.2015 के अपराह्न 2–00 बजे तक पान शाप हेतु 10000/–रूपये वाहन स्टैण्ड डी0एम0गेट हेतु 1,00,000/–रूपये व वाहन स्टैण्ड न्याय भवन हेतु 50000/–रूपये धरोहर/ प्रतिभूति नकद रोकड के रूप में नजारत अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।

3. बोलीदाता/ प्रतिभागी को धरोहर/ प्रतिभूमि की धनराशि के साथ दिनांक 31.07.2015 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास, हैसियत एवं चरित्र प्रमाणपत्र सत्यापित फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही प्रतिभागी को नोटरी शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में किसी दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में विचारण नहीं चल रहा है, एवं उसे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित अथवा दोषसिद्ध नहीं किया गया है तथा उसके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में पंजीकृत अभियोग की विवेचना नहीं चल रही है।

4. प्रत्येक दुकान के सम्बन्ध में अन्तिम बोली/ नीलामी की धनराशि वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान चार बराबर किश्तो में प्रत्येक त्रैमास में देय तिथि यानी 01.10.2015 व 01.01.2016 से एक सप्ताह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। यदि स्वीकृत बोलीदाता द्वारा दुकान का परिचालन प्रारम्भ करके वह अनुपस्थित रहता है तो उसकी धरोहर राशि राज्यसात करके द्वितीय प्रतिभागी को प्रतिष्ठान परिचालन की अनुज्ञा दे दी जायेगी।

5. अन्तिम बोली / नीलामी के प्रथम भाग में धरोहर की सम्पूर्ण धनराशि समायोजित कर ली जायेगी किन्तु प्रथम भाग के सापेक्ष धरोहर की धनराशि कम होने की दशा में प्रतिभागी को अन्तर की धनराशि यदि कोई हो, वित्तीय वर्ष की पांचवी तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा।

6. अन्तिम बोलीदाता/ प्रतिभागी सम्पूर्ण नीलामी की धनराशि स्वेच्छया एकमुश्त जमा कर सकता है

किन्तु उपर कमांक 3 पर अंकित शर्तो में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

7. नीलामी की अन्तिम स्वीकृत के उपरान्त सम्बन्धित विडर/ ठेकेदार को निम्नांकित शर्तो का पालन करना अनिवाया होगाः–

(क) ठेकेदार को जनरल स्टैम्प पर एक अनुबन्ध पत्र निषादित करना होगा।

(ख) किसी ठेकेदार को नीलामी में स्वीकृत दुकान संचालित करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

(ग) दुकानदार को विकय योग्य प्रत्येक सामान की मूल्यसूची दुकान पर प्रदर्शित करना होगा और जनपद न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही सामान का विकय करना होगा।

(घ) दुकान का संचालन अस्थायी निर्माण पर ही किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अंत में ठेकेदारको अपने व्यय पर दुकान स्वयं हटाना होगा अन्यथा दुकान हटाने में होने वाले व्यय की वसूल दुकानदार से की जायेगी।

(च) दुकानदार को बिजली व पानी की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी तथा दुकान के चारो ओर सफाई की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी।

(छ) सम्बन्धित दुकान के सम्बन्ध में राज्य सरकार/ स्थानीय निकाय को देय कर यदि कोई हो, का भुगतान दुकानदार को स्वयं करना होगा।

(ज) दुकान पर उपलब्ध सामग्री स्वास्थ्यप्रद एवं अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए।

(झ) उपर्युक्त कमांक–4 में दर्शाई गई अवधि में देय धनराशि जमा न किये जाने की दशा में सम्बन्धित दुकान बंद करा दी जायेगी तथा बकाया धनराशि की वसूली की कार्यवही बकाया राजस्व के रूप में की जायेगी।

(ट) उपर्युक्त नीलामी के द्वारा किसी दुकान/ ठेके की अनुज्ञा स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने अथवा संशोधित करने का पूर्ण अधिकार जनपद न्यायाधीश, जौनपुर को होगा।

(बुद्धिराम)
अपर जिला जज कोर्ट नं0–4/
अध्यक्ष,
नीलामी समिति, जनपद न्यायालय,
जौनपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जिला सूचना अधिकारी, जौनपुर को विज्ञप्ति के रूप में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
2. एन.आई.सी की वेबसाईट पर दर्शित करने हेतु
3. नोटिस बोर्ड, दीवानी न्यायालय, जौनपुर
4. नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट, न्यायालय, जौनपुर
5. नोटिस बोर्ड, जिला पंचायत, जौनपुर
6. नोटिस बोर्ड, नगरपालिका परिषद, जौनपुर
7. नोटिस बोर्ड, जिला चिकित्सालय, जौनपुर
8. नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जौनपुर
9. नोटिस बोर्ड, रेलवे स्टेशन, जौनपुर
10. नोटिस बोर्ड, बस स्टैण्ड, जौनपुर

16.5.15

(बुद्धिराम)
अपर जिला जज कोर्ट नं0–4/
अध्यक्ष,
नीलामी समिति, जनपद न्यायालय,
जौनपुर।